

कार्यवृत्त

गुरुवार, 06 अग्रहायण, शक संवत्, 1936

(दिनांक 27 नवम्बर, 2014 ई०)

खण्ड-41
अंक-4

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष के पीठारीन होते ही नियम-310 के अन्तर्गत हल्द्वानी में 7 वर्षीय नाबालिक की हत्या हो जाने विषयक दी गई सूचना पर नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात जोर-जोर से कहने लगे।

नेता सदन के वक्तव्य दिये जाने से असन्तुष्ट होकर नेता प्रतिपक्ष सहित सभी सदस्य ‘वेल’ में आकर अपनी-अपनी बात जोर-जोर से कहने लगे तथा नारे बाजी करने लगे।

श्री अध्यक्ष के बार-बार अनुरोध किये जाने पर भी सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया। इस पर श्री अध्यक्ष ने 11:08 पर सदन की कार्यवाही 12:20 तक के लिए स्थगित कर दी।

सदन की कार्यवाही 12:20 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष के पीठारीन होते ही नेता प्रतिपक्ष सहित सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर दी गई नियम-310 की सूचना के अन्तर्गत सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे, जिससे घोर व्यवधान होने लगा।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त निम्नलिखित 15 सूचनाएं स्वीकार की गई एवं पढ़ी हुई मानी गई:-

1. श्री मदन कौशिक

“विगत सरकार द्वारा पर्यटन विभाग के अन्तर्गत हरिद्वार विधान सभा में विभिन्न मंदिरों के सौन्दर्यीकरण की स्वीकृत योजनाओं में पर्यटन विभाग द्वारा आधे-आधे कार्य पूरे किये जाने से जनता में उत्पन्न आक्रोश के संबंध में।”

2. श्री माल चन्द

“विधान सभा क्षेत्र पुरोला (जनपद उत्तरकाशी) में विद्युत लाइन के अभाव के कारण उरेड़ा द्वारा सौर ऊर्जा, स्ट्रीट लाइट सब्सिडी अधिक से अधिक संख्या में दिये जाने के संबंध में।”

3. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर

“जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम टिमली के मजरा चिड़ी बेली में आज तक बिजली की लाईन न होने के कारण मजरे के निवासियों में उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में।”

4. श्रीमती विजय बड़वाल

“जनपद पौड़ी गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत भैरवगढ़ी पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण पूरा न किये जाने के सम्बन्ध में।”

5. श्री राजकुमार ठुकराल

“रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न सड़क मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में।”

6. श्री पूरन सिंह फत्याल

“जनपद चम्पावत के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोहाघाट में ब्लड बैंक की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।”

7. श्री राजेश शुक्ला

“किंच्छा विधान सभा क्षेत्र में किंच्छा नदी पर पुल अथवा रपटा पुल बनाकर उसे किंच्छा शहर से सितारगंज रोड पर पिपलिया चौराहे तक सम्पर्क मार्ग बना जोड़ दिये जाने के सम्बन्ध में।”

8. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना

“जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत फरवरी, 2014 में उप तहसील मछोड़ की स्वीकृति प्रदान किये जाने तथा अधिसूचना निर्गत किये जाने के बाद भी तहसील के अस्तित्व में न आने से व्याप्त असन्तोष के संबंध में।”

9. श्री संजय गुप्ता

“जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अन्तर्गत पथरी नदी पर ग्राम अकौढ़ा खुर्द व ग्राम-सीधडू-ऐथल में दो छोटे पुल बनाने के सम्बन्ध में।”

10. श्री प्रेम सिंह राना

“उत्तराखण्ड प्रदेश में वन विभाग के डिप्टी रेंजर के समकक्ष सहायक विकास अधिकारी के पदों पर नियुक्तियों एवं नियमावली के सम्बन्ध में।”

11. श्री हरबंस कपूर

“देहरादून महानगर क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान के सम्बन्ध में।”

12. श्री प्रदीप बत्रा

“मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा रुड़की गंगनहर पर झूला पुल के स्थान पर सी०सी० पुल बनाने की घोषणा किये जाने के बाद भी पुल निर्माण न होने के सम्बन्ध में।”

13. श्री प्रेमचन्द अग्रवाल

“विधान सभा ऋषिकेश के अन्तर्गत श्यामपुर ए.बी.सी. में पुनर्वासित परिवारों के बच्चों हेतु विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।”

14. श्री बिशन सिंह चुफाल

“विधान सभा डीडीहाट अन्तर्गत प्रा. पा. बाँकू के भवन की जीर्ण-शीर्ण अवस्था के सम्बन्ध में।”

15. श्री यतीश्वरानन्द

“विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के अन्तर्गत ग्राम भोगपुर, ग्राम तिलकपुरी तथा अन्य लगभग 20 ग्रामों की हाथियों से सुरक्षा करने के सम्बन्ध में।”

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि नियम-310 के अन्तर्गत प्राप्त श्री अजय भट्ट, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री राजकुमार ठुकराल, मा० सदस्य विधान सभा की सूचना को अस्वीकार की गई।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने “भारत का संविधान” के अनुच्छेद-151(2) के अधीन भारत के नियंत्रक - महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए “राज्य के वित पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन” एवं 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए “भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या-1)” तथा 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए “भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या-2)” को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने “भारत का संविधान” के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2013-14 के वित लेखे एवं विनियोग लेखे सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा, “जनपद देहरादून कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर निगम के वार्ड 57 गोविंदगढ़ क्षेत्र से गुजर रही बिन्दाल नदी के किनारे सुरक्षा दीवार बनाये जाने के सम्बन्ध में” श्री मेहर सिंह, निवासी 66 आजाद कालोनी, गोविंदगढ़, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित किये जाने हेतु नाम पुकारे जाने पर सदस्य उपस्थित नहीं हुए।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा, “जनपद देहरादून कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर निगम के वार्ड 57 गोविन्दगढ़ क्षेत्र से गुजर रही हाईटेंशन लाईन को अव्यत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में” श्री मेहर सिंह, निवासी 66 आजाद कालोनी, गोविन्दगढ़, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित किये जाने हेतु नाम पुकारे जाने पर सदस्य उपस्थित नहीं हुए।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा, “जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम सभा नौसर के राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में” श्री अनिल, निवासी ग्राम सभा नौसर पो० खटीमा विकास खण्ड खटीमा जनपद ऊधम सिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित किये जाने हेतु नाम पुकारे जाने पर सदस्य उपस्थित नहीं हुए।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा, “जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा के ऊंची बगुलिया खालीमहुवट, अमाऊ, खटीमा की विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में” श्रीमती कुसुम देवी, निवासी ग्राम सभा ऊंची बगुलिया, पो० खालीमहुवट, विकास खण्ड खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित किये जाने हेतु नाम पुकारे जाने पर सदस्य उपस्थित नहीं हुए।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा, “जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा के ग्राम गांगी, बिरिया मझोला की लो बोल्टेज की समस्या के समाधान किये जाने के सम्बन्ध में” श्री नवीन सिंह कन्याल, निवासी ग्राम सभा गांगी, पो० बिरिया मझोला, विकास खण्ड खटीमा, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित किये जाने हेतु नाम पुकारे जाने पर सदस्य उपस्थित नहीं हुए।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा, “जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा के ग्राम दिया, बिरिया, मझोला में एक 63 के०वी० विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में” श्री नवीन सिंह कन्याल, निवासी ग्राम सभा गांगी, पो० बिरिया मझोला, विकास खण्ड खटीमा, जनपद ऊधमसिंह नगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित किये जाने हेतु नाम पुकारे जाने पर सदस्य उपस्थित नहीं हुए।

घोर व्यवधान के मध्य श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा, “जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गुड़रिच तथा ग्राम पंचायत एठनबाग के ग्राम उदियाबाग की भूमि वर्ग-6 की भूमि घोषित किये जाने के सम्बन्ध में” श्री धर्मवीर प्रकाशी, निवासी ग्राम पंचायत जमनीपुर, ग्राम गुड़रिच, पो० विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

घोर व्यवधान के मध्य श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा, “जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बाड़वाला में पक्के शैचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में” श्री थेपड़, निवासी ग्राम पंचायत बाड़वाला, पो० अशोक आश्रम, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

घोर व्यवधान के मध्य श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा, “जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत तौली-भूड़ में पक्के शैचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में” श्री विरेढ़ सिंह, निवासी ग्राम पंचायत तौली-भूड़, पो० लॉघा, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

घोर व्यवधान के मध्य श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा, “जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ वार्ड न0 9 में पक्के शौचालयों के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में” मौ0 हासिम, निवासी ग्राम पंचायत जीवनगढ़, वार्ड न0 9, पो0 अम्बाड़ी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पढ़ी हुई मानी गयी।

घोर व्यवधान के मध्य श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा, “जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ वार्ड न0 7 में पक्के शौचालयों के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में” श्री जैनब, निवासी ग्राम पंचायत जीवनगढ़, वार्ड न0 7, पो0 अम्बाड़ी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पढ़ी हुई मानी गयी।

घोर व्यवधान के मध्य श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा, “जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवनगढ़ वार्ड न0 8 में पक्के शौचालयों के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में” श्री अनवर, निवासी ग्राम पंचायत जीवनगढ़, वार्ड न0 8, पो0 अम्बाड़ी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पढ़ी हुई मानी गयी।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर में स्थाई कुलपति के बगैर अराजकता की स्थिति के संबंध में श्री राजेश शुक्ला, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-65 के अन्तर्गत विशेषाधिकारी की सूचना अखीकार की गई।

घोर व्यवधान के मध्य कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 26 नवम्बर, 2014 की बैठक में दिनांक 27 नवम्बर, 2014 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

नवम्बर, 2014

27 गुरुवार

1. विधायी कार्य।

- (1) मदरहुड विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण।(30 मिनट)
- (2) उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)
- (3) उत्तराखण्ड राज्य गैरसैण विकास परिषद विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण।(30 मिनट)
- (4) उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण।(30 मिनट)
- (5) उत्तराखण्ड राज्य अवरथापना विकास परिषद विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण।(30 मिनट)

2. नियम-105 के प्रस्तुतीकरण पर विचार

1. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्तुव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :- (30 मिनट)

“राज्य में नगर निगम व नगर पालिका, नगर पंचायतों के कार्यों के संचालन हेतु संयुक्त रूप से सम्बन्धित निकायों के अधिकारियों/ मेयर/ अध्यक्ष/ पार्षद/सदस्यों को संयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाय।”

3. नियम-54 की सूचना

1. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :- (30 मिनट)

“प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को केव्व तथा राज्य सरकार की जनकल्याण योजनाओं का लाभ विभागों की अलग-अलग बी0पी0एल0 सूची के आधार पर दिया जा रहा है। विभागवार अलग-अलग सूची से भान्ति उत्पन्न हो रही है तथा वास्तविक पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित हो रहे हैं। अतः जनहित में आवश्यक है कि प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों की एक सम्पूर्ण सूची बनायी जाय तथा सभी विभागों हेतु एक ही सूची मान्य हों।”

2. श्री शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :- (30 मिनट)

“राज्य के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसी बस्तियां बसी हुयी हैं जिनके निवासियों के पास उस भूमि का कोई मालिकाना प्रमाण पत्र नहीं है, जिस पर उन्होंने अपने रिहायशी मकान बनाये हैं।

ये आवासीय ईकाईयां अस्थायी, अर्द्ध स्थायी तथा स्थायी तीनों संरचनाओं में हैं। ये बस्तियां नदियों के किनारे, सड़कों के किनारे तथा अनुपयुक्त पड़ी राजकीय या विभागीय भूमियों पर विकसित हुयी हैं।

कुछ नगर निकायों में ऐसे बस्तियों को मलिन बस्ती के रूप में अधिसूचित भी किया गया है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र जो ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आता है, में ऐसी कोई अधिसूचना की कार्यवाही नहीं की गयी है।

इन बस्तियों में बिजली, पानी की सुविधाएं अस्थायी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रदान की गयी है, परन्तु खच्छता की दृष्टि से ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहां के निवासियों के पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड आदि की पूर्ण व्यवस्था है।

इन बस्तियों की बसावट आपदा के समय राहत पहुंचाने की दृष्टि से भी अति संवेदनशील है।

इन बस्तियों के निवासी समाज को मजदूर तथा सेमी रिकल्ड मजदूर के रूप में, अत्यधिक छोटे व्यापारी तथा व्यवसायियों के रूप में अति आवश्यक सेवा प्रदान करते हैं। घरेलू सहायकों के रूप में इनका योगदान है।

सामाजिक संरचना में इस सर्विस सेक्टर के योगदान तथा आवश्यकता को देखते हुए यह समाज के हित में है कि इन मलिन बस्ती वासियों को सुरक्षित खच्छ आवासीय सुविधा प्रदान करने की नीति प्रख्यापित की जाय।

विनियमितीकरण की प्रक्रिया से राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस प्रक्रिया से संसाधन तथा राजस्व खमेव उत्पन्न होंगे। देश के अन्य राज्यों में ऐसी नीतियां निर्धारित की जा चुकी हैं।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं जनहित के इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा नियम-58 में प्राप्त 15 सूचनाओं में से श्री मदन कौशिक, श्री आदेश चौहान, श्री चन्द्रशेखर, श्री राजकुमार ठुकराल, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री सहदेव सिंह पुण्डीर एवं श्री पुष्कर सिंह धामी की सूचना को ग्राह्यता पर सुने जाने हेतु नाम पुकारे जाने पर मात्र सदस्य उपस्थित नहीं हुए।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मदरहुड विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा उक्त विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु माननीय सदस्यों का नाम पुकारे जाने पर कोई भी माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हुए।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-52, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मदरहुड विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा उक्त विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु माननीय सदस्यों का नाम पुकारे जाने पर कोई भी माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हुए।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-4, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री गणेश गोदियाल, सभा सचिव ने प्रस्ताव किया कि “मूल अधिनियम के धारा-14 का अन्तःस्थापन” निम्नवत् कर दिया जाय:-

- (1) वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलसचिव की नियुक्ति एवं कार्यदायित्वों का निम्न उपबन्धों के अन्तर्गत विहित की जाती है।
- (2) वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा विहित प्राविधानान्तर्गत की जायेगी।
- (3) कुलसचिव विश्वविद्यालय के प्रबन्ध परिषद, शैक्षिक परिषद, प्रवेश समिति, विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रत्येक समिति का पदेन सचिव होगा।
- (4) कुलसचिव विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों का नियुक्त प्राधिकारी होगा।
- (5) कुलसचिव विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकारी होगा। जो कि परिनियमावली में विहित की जायेंगी।
- (6) कुलसचिव विश्वविद्यालय से शैक्षणिक संबद्धता और संस्थागत कार्यकलापों से संबंधित सभी विषयों के लिए उत्तरदायी होगा।
- (7) कुलसचिव विश्वविद्यालय के संबंध महाविद्यालयों और संस्थाओं के निरीक्षण के संचालन एवं समग्र पर्यवेक्षण के लिए, जैसा विहित किया जाये, उत्तरदायी होगा।

खण्ड-2 से खण्ड-4, खण्ड 5(1) से 5(7), खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014, यथासंशोधित पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य गैरसैण विकास परिषद विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा उक्त विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु माननीय सदस्यों का नाम पुकारे जाने पर कोई भी माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हुए।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-15, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य गैरसैण विकास परिषद विधेयक, 2014 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा उक्त विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु माननीय सदस्यों का नाम पुकारे जाने पर कोई भी माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हुए।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-10, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद विधेयक, 2014 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा उक्त विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु माननीय सदस्यों का नाम पुकारे जाने पर कोई भी माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हुए।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-10, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास परिषद विधेयक, 2014 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री सूचित किया कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत चब्दभाग नदी में उपखनिज का चुगान कितने सालों से न किये जाने एवं इसके कारण नदी का जलस्तर तटबन्ध के बराबर हो जाने से ढालवाला एवं मुनी की रेती क्षेत्र में बाढ़ का खतरा उत्पन्न होने विषयक दिनांक 24 नवम्बर, 2014 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-82 के संबंध में श्री सुबोध उनियाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत चर्चा जारी रहेगी।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया माना गया एवं चर्चा जारी रहेगी:-

“राज्य में नगर निगम व नगर पालिका, नगर पंचायतों के कार्यों के संचालन हेतु संयुक्त रूप से सम्बन्धित निकायों के अधिकारियों/ मेयर/ अध्यक्ष/पार्षद/ सदस्यों को संयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाय।”

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम -54 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी:-

“प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को केन्द्र तथा राज्य सरकार की जनकल्याण योजनाओं का लाभ विभागों की अलग-अलग बी०पी०एल० सूची के आधार पर दिया जा रहा है। विभागवार अलग-अलग सूची से भान्ति उत्पन्न हो रही है तथा वास्तविक पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित हो रहें हैं। अतः जनहित में आवश्यक है कि प्रदेश में बी०पी०एल० परिवारों की एक सम्पूर्ण सूची बनायी जाय तथा सभी विभागों हेतु एक ही सूची मान्य हो।”

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम -54 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी

“राज्य के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसी बस्तियां बसी हुयी हैं जिनके निवासियों के पास उस भूमि का कोई मालिकाना प्रमाण पत्र नहीं है, जिस पर उन्होंने अपने रिहायशी मकान बनाये हैं।

ये आवासीय ईकाईयां अस्थायी, अर्द्ध स्थायी तथा स्थायी तीनों संचनाओं में हैं। ये बस्तियां नदियों के किनारे, सड़कों के किनारे तथा अनुपयुक्त पड़ी राजकीय या विभागीय भूमियों पर विकसित हुयी हैं।

कुछ नगर निकायों में ऐसे बस्तियों को मलिन बस्ती के रूप में अधिसूचित भी किया गया है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र जो ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आता है, में ऐसी कोई अधिसूचना की कार्यवाही नहीं की गयी है।

इन बस्तियों में बिजली, पानी की सुविधाएं अस्थायी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रदान की गयी है, परन्तु स्वच्छता की दृष्टि से ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहां के निवासियों के पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड आदि की पूर्ण व्यवस्था है।

इन बस्तियों की बसावट आपदा के समय राहत पहुंचाने की दृष्टि से भी अति संवेदनशील है।

इन बस्तियों के निवासी समाज को मजदूर तथा सेमी स्टिकल्ड मजदूर के रूप में, अत्यधिक छोटे व्यापारी तथा व्यवसायियों के रूप में अति आवश्यक सेवा प्रदान करते हैं। घरेलू सहायकों के रूप में इनका योगदान है।

सामाजिक संरचना में इस सर्विस सेक्टर के योगदान तथा आवश्यकता को देखते हुए यह समाज के हित में है कि इन मलिन बस्ती वासियों को सुरक्षित स्वच्छ आवासीय सुविधा प्रदान करने की नीति प्रख्यापित की जाय।”

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 के अन्तर्गत 13 सूचनाएं प्राप्त हुईं। इनमें से-

जनपद ऊधमसिंह नगर स्थित रुद्रपुर में सरकारी इंजीनियरिंग कालेज व आई0टी0आई0 प्रारम्भ करने के संबंध में श्री राजकुमार ठुकराल की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया तथा

जनपद देहरादून स्थित बिन्दाल एवं रिस्पना नदियों में सीधा सीवर का पानी डालने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हरबंस कपूर की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

जनपद ठिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्टी के अन्तर्गत पट्टी सकलाना में 15 अगस्त, 2014 को आई भीषण आपदा से विभिन्न ग्रामों की विद्युत लाईनों के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में श्री महावीर सिंह रांगड़, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 2014 को दी गई सूचना पर, ऊर्जा मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य तथा,

विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत ऐतिहासिक प्रसिद्ध गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब एवं नदीश्वर मन्दिर ध्यानपुर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में डा० प्रेम सिंह राणा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 2014 को दी गई सूचना पर, पर्यटन मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही 12 बजकर 42 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।

**जगदीश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।**

स्वीकृत,

**गोविन्द सिंह कुंजवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।**